न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 80/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 10.12.2024

निर्णय दिनांक : 22.04.2025

1. गजराजसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम शिवदानसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप जाति अहीर निवासी ग्राम शिवदानसिंहपुरा तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. उपखण्ड अधिकारी नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।

– अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से।
2. श्री संजू यादव अधिवक्ता – अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

निर्णय

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष प्रकरण संख्या 440/2022 उनवानी प्रकरण गजराजसिंह बनाम सरकार विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। वकील उभय पक्षकारान ने सीधी बहस करने का निवेदन किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष वाद बाबत हुक्मइम्तनाई दवामी बअनुवानी गजराजसिंह बनाम लैण्ड होल्डर प्रकरण संख्या 440/2022 अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि मिन वादी ग्राम शिवदानसिहपुरा तहसील नीमराना का निवासी है एवं प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि अधिकारी है तथा उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अन्य सहखातेदारो के विरूद्ध कोई रिलीफ नही चाही गयी है इसलिये उनको पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 132 वाके ग्राम बंथला में मिन वादी 1/18 भाग का खातेदार काश्तकार है एवं मिन वादी की उक्त आराजी से लगती हुयी आराजी खसरा नम्बर 141 वाके ग्राम बंथला तहसील नीमराना में स्थित है जो रास्ता की भूमि है। आराजी खसरा नम्बर 132 में मिन वादी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है एव अवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिये करीब 30–35 वर्षों से ही अपने हिस्से की आजी में तरफ रास्ते की और दीवार लगाकर बिना किसी रोक टोक के उपयोग उपभोग एवं काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन अब प्रतिवादी अन्य लोगो के बहकावे में आकर व राजनीतिक दबाव के कारण एवं मिन वादी को बेवजह तंग व परेशान करने की नियत से मिन वादी को अतिक्रमी मानते हुये कार्यवाही की आड़ में जानबूझकर मिन वादी को तंग व परेशान करने की नियत से एवं राजनीतिक दबाव में आकर वादी को अतिक्रमी मानते हुये उक्त दीवार को तोड़ने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय ने जरिये नोटिस जारी कर अप्रार्थी तहसीलदार नीमराना से जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया तहसीलदार का जवाब प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही राधेश्याम पुत्र रामस्वरूप ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एव अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थी सख्या 01 को दिनांक 06.11.2024 को पक्षकार बनाये जाने की आदेश पारित किये तदउपरान्त दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर उपरोक्त वाद को खारीज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अधिनस्थ न्यायालय बिना कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित किये अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानीय राजनैतिक दवाबवश प्रार्थी के उपरोक्त वाद को खारीज करने पर आमादा हो रहे है। पीठासीन अधिकारी स्थानीय राजनैतिक दबाववश लगातार प्रकरण में तारीख पेशी देकर प्रकरण को खारीज करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 01 अपनी राजनैतिक पहुंच का नाजायज फायदा उठाते हुये वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दवाब बना प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वाद को खारीज करवाने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में स्थानीय राजनैतिक दबाववश प्रकरण में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद कतई नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन वाद बअनुवानी गजराजसिंह बनाम सरकार प्रकरण संख्या 440/2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से अन्यत्र उपखण्ड अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु मुन्तकिल किये जाने की कृपा करें।

5. वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये जाहिर किया की प्रार्थी द्वारा मंगढनत एवं झूठे तथ्य पेश किये है। खसरा नम्बर 141 गैरमुमकिन रास्ता है जिस पर प्रार्थी के भाई ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके विरूद्ध 91 एलआरएक्ट के तहत कार्यवाही की गई है तथा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार भी गैरमुमकिन रास्ता में दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें नायब तहसीलदार नीमराना के निर्णय दिनांक 07.09.2022 के द्वारा उक्त अतिक्रमण से प्रार्थी को बेदखल करने के आदेश दिये गये है, जिसकी पालना हेतु पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार नीमराना ने पत्र भी जारी किये है। प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसे खारिज किया जावें।
6. प्रकरण में तहत न्यायालय से बिन्दूवार टिप्पणी भिजवाते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बनावटी व मनगढंत होना बताया जाकर प्रकरण को अन्य किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।
7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
8. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में एकतरफा स्थगन प्राप्त कर रखा है, उक्त तथ्य को प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं करते हुए मुगालते में रखते हुए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

   उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराणा को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय अद्य दिनांक 22.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़